।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 03.02.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक दिनांक 03.02.2023 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष मे आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. डॉ. सौम्या झा संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री दिलबाग सिंह, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। — सदस्य

निम्न 02 बंदियो के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध खुला बंदी शिविर का नाम	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
सावंरलाल उर्फ लालू पुत्र गिरधारी लाल	के.का.अजमेर	525/2022	02.01.2023	30.01.2023
रतनलाल पुत्र पोखरलाल	के.का.अजमेर	442/2022	17.01.2023	30.01.2023

समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर निम्न निर्णय लिया गया:-

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. सांवरलाल उर्फ लालू पुत्र गिरधारीलाल, जाति-मेघवाल, निवासी-मेघवालो का मोहल्ला सुरजगढ, पुलिस थाना-थावला, जिला-नागौर (के.का.अजमेर)

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 09 वर्ष 04 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 02.01.2023 को निर्णय पारित कर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार कर निर्णय किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

बन्दी ट्रक ड्राईवर था, जो दिनांक 25.04.2014 को अपने सहचालक की पीठ पर गहरा घाव कर उसकी हत्या कर लाश को ट्रक में छोडकर भाग गया।

बंदी को प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(घ) के अन्तर्गत साधारणतया एवं नियम 4(क) के अन्तर्गत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नही है।

अतः उक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी सांवरलाल उर्फ लालू पुत्र गिरधारीलाल को खुला बंदी शिविर में नही भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया तथा बन्दी द्वारा प्रतिबन्धित धारा की सजा पूर्ण करने के उपरान्त प्रकरण पर पुर्नविचार किया जायेगा।

2. रतनलाल पुत्र पोखरलाल, जाति-कीर, निवासी-मोठी,थाना बदनौर, जिला-भीलवाडा (के.का. अजमेर)

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 13 वर्ष 05 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 17.01.2023 को निर्णय पारित कर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार कर निर्णय किये जाने हेतु निर्दश दिये गये है।

बंदी द्वारा दिनांक 08.05.2010 को करीब 04 वर्ष की बालिका जिसे आईसक्रीम दिलवाने के बहाने ले जाकर उसके साथ अमानवीय तरीके से बलात्कार किया गया। उक्त कृत्य के लिए माननीय न्यायालय द्वारा बन्दी को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 35 वर्ष है। बंदी खुला शिविरों में बंदियों के परिवार भी निवास करते है जिनमें उनकी पत्नी एवं पुत्रियां भी **सम्मिलित है। बंदी द्वारा शिविर में अथवा शिविर के बाहर ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।**

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 189/2022 में निर्णय दिया गया है कि बंदी के खुला बंदी शिविर के प्रकरण पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता, बंदी द्वारा पुनः अपराध कारित

करने की संभावना तथा खुले बंदी शिविर में रह रहे अन्य बंदियों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए।

बंदी को प्रतिबंधित धारा 376(2)(च) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(च) के अन्तर्गत साधारणतया एवं नियम 4(क) के अन्तर्गत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नही है।

अतः उक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी रतनलाल पुत्र पोखरलाल को खुला बंदी शिविर में नही भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया ।

सदस्य उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	**सदस्य सचिव** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** शासन संयुक्त सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	**अध्यक्ष** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।